६।

# बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0:– 3/अ0प्र0–1–45/2023 8113 /पटना, दिनांक :– 25-7-25

पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड के तौलाहा ग्राम पंचायत सरकार भवन (योजना वर्ष 2015–16) के निर्माण कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के कारण उक्त भवन का कार्य अधूरा रह गया। साथ ही अधूरे कार्य का भुगतान प्राप्त करने हेतु संवेदक द्वारा Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal, Patna में वाद संख्या–213/2016 दायर किया गया।

2. उक्त वाद के आलोक में दिनांक 03.09.2021 को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश में दर्ज की गयी मापी के अनुसार 9,04,205/– रूपया 6.5 प्रतिशत सूद के साथ तीन माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया अन्यथा 8.5 प्रतिशत की दर से सूद का भुगतान किये जाने का आदेश पारित है। इस आदेश के आलोक में श्री पासवान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी और न ही अपील दायर करने की कार्रवाई की गयी। फलतः एक तरफ योजना अपूर्ण रह गयी और दूसरी तरफ सरकार को वित्तीय क्षति हुई है। उक्त के आलोक में श्री पासवान के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–1196 दिनांक–27.02.2023 द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनुशंसा की गयी।

3. आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिहस्ताक्षरित आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न विभागीय पत्रांक–1532 अनु0 दिनांक–03.07.2023 के द्वारा श्री पासवान से लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

4. श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप पत्र का मामला योजना एवं विकास विभाग से संबंधित था। इसलिए श्री पासवान द्वारा दिनांक–09.07.2024 को समर्पित लिखित अभिकथन को विभागीय पत्रांक–2280 अनु0 दिनांक–14.08.2024 के द्वारा योजना एवं विकास विभाग को भेजते हुए इस पर मंतव्य की अपेक्षा की गयी।

5. उक्त के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–4885 दिनांक–02.09.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में इनके लिखित अभिकथन को ना तो संतोषजनक और ना ही स्वीकार करने योग्य होने का अभिमत व्यक्त किया गया। श्री पासवान दिनांक–31.12.2021 को सेवानिवृत्त हो चुके है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा आवार्ड पारित करने की तिथि 03.09.2019 है, जो कि घटना की तिथि मानी जा सकती है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्रवाई का संचालन चार वर्ष के पूर्व अर्थात दिनांक–02.09.2023 तक ही संभव था। जैसा की योजना एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में भी कालबाधित होने की तिथि–02.09.2023 अंकित है।

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

अतः वर्तमान में श्री पासवान के विरूद्ध यह मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत कालबाधित की श्रेणी में आता है। इस मामले में अब विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती है। अतः इसे कालबाधित होने के आधार पर संचिकास्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Skumar
25/7/15
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–3/अ0प्र0–1–45/2023 8113 /पटना, दिनांक :– 25-7-25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–02(पश्चिम चम्पारण)/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बगहा–02/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02 बगहा सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता–गणपति अपार्टमेंट, फ्लैट नं0–204, प्रियदर्शी नगर, बेली रोड, पटना, डाकघर–दानापुर, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना, राज्य–बिहार, पिनकोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Skumar
25/7/15
अवर सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in